न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

उपस्थित .... **श्रीमती ममता सिंह** – उ०प्र० न्यायिक सेवा।

मु०अ०सं० - ६६/२००८
मु०सं० - १३३८/२००८
धारा - ५०४ व ५०६ भा०दं०सं०
थाना - कोतवाली, कानपुर नगर।

सरकार -बनाम - रामकुमार उर्फ लालू पुत्र बच्चू लाल
निवासी - ४०/५५, नया चौक,
थाना - मूलगंज, जनपद- कानपुर नगर।

निर्णय

पुलिस थाना कोतवाली, कानपुर नगर के द्वारा अभियुक्त रामकुमार उर्फ लालू के विरुद्ध आरोप पत्र मु०अ०सं० ६६/२००८ धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मुकदमा वादिनी मुकदमा श्रीमती अर्चना तिवारी की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क-१ के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्त ने भिन्न-भिन्न तिथियों व समय पर मोबाइल नं०-९८८९४३४६६४ से मोबाइल नं०-९९३५६३७८२८ पर वादिनी मुकदमा अर्चना तिवारी व उसके पति को अपमानित करने एवं लोक शान्ति भंग करने के आशय से भद्दी-भद्दी गालियां दीं एवं जान से मारने की धमकी दी। वादिनी मुकदमा की तहरीर पर मोबाइल धारक ९८८९४३४६६४ के विरुद्ध मु०अ०सं० ६६/२००८ धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मुकदमा विवेचक के द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त रामकुमार उर्फ लालू के विरुद्ध मु०अ०सं०-६६/२००८ धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करते हुए अभियुक्त को विचारणोपरान्त दण्डित करने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध के आरोप धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनाँक २०.०५.२०११ को विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी श्रीमती अर्चना तिवारी पत्नी गौरी शंकर तिवारी (वादी मुकदमा) को पी०डब्लू०-१ तथा गौरी शंकर तिवारी पुत्र स्व० छिद्म्मी लाल को पी०डब्लू०-२ के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया, इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर पर प्रदर्श क-१ डाला गया। शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार की गयी।

अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान ३१३ दं०प्र०सं० में घटना को गलत बताया तथा गवाहान के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि प्रस्तुत अभियोजन साक्षीगण ने उसके विरुद्ध कोई गवाही नहीं दी है। सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०-१ श्रीमती अर्चना तिवारी, जोकि प्रस्तुत मामले का वादिनी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग आठ वर्ष पूर्व की घटना है। मेरे मोबाइल फोन पर लगातार कोई धमकियां देता था तथा गालियां देता था। फोन पर मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता था। फोन पर धमकियां व गालियां कौन देता था यह हमको नहीं पता था। इस घटना के पूर्व एक मुकदमा मेरे पति ने लिखाया था, जिसमें किसको-किसको मुल्जिम बनाया गया था, मुझे याद नहीं है। घटना की रिपोर्ट मैंने थाने पर तहरीर देकर पंजीकृत करायी थी। प्रार्थना पत्र मैंने टाइप कराकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी थी, तब मुकदमा पंजीकृत हुआ था। प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर को गवाह ने पहचाना, जिस पर प्रदर्श क-१ डाला गया।

उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी। जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मुझे कौन धमकी देता था, मुझे नहीं मालूम है। मेरे बयान दरोगा जी ने नहीं लिए थे, मैं आवाज से भी नहीं पहचान सकती कि धमकी कौन देता था। हाजिर अदालत अभियुक्त को मैं नहीं पहचान सकती हूं। इस व्यक्ति ने मुझे कभी धमकी नहीं दी। मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहती हूं।

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त घटना अभियुक्त रामकुमार उर्फ लालू के द्वारा कारित की गयी हो। बल्कि उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे धमकी कौन देता था, उसे नहीं मालूम है, वह धमकी देने वाले की आवाज भी नहीं पहचान सकती है। हाजिर अदालत अभियुक्त को वह नहीं पहचान सकती है, इस व्यक्ति ने उसे कभी धमकी नहीं दी। अतः इस स्तर पर उक्त साक्षी के उपरोक्त बयान से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है। तात्पर्य यह है कि उक्त साक्षी के उपरोक्त बयान से सम्पूर्ण अभियोजन कथानक सन्देह की परिधि में आ जाता है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-२ गौरी शंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग आठ वर्ष पहले की घटना है। मेरी पत्नी के मोबाइल पर कोई व्यक्ति गालियां देता था तथा जान से मारने की धमकी देता था। इस घटना से पूर्व एक ३०७ के मुकदमें में मैं वादी था। उसमें मुल्जिमान आशीष, गुड्डू व रामकुमार थे। इस घटना के समय यह लोग जेल में थे। शक के आधार पर मैंने इन लोगों के नाम पुलिस वालों को बताये थे। मुझे अभियुक्त रामकुमार उर्फ लालू ने कभी भी रास्ते में रोककर ३०७ वाले मुकदमें में गवाही देने से मना नहीं किया और न इस बावत कोई कभी धमकी ही दी और न गालियां दी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के इतर/विपरीत बयान दिया है, जिससे अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि नहीं होती है। इस स्तर पर उक्त साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को उक्त साक्षी से जिरह करने की अनुमति प्रदान की गयी।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी। जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मेरा राजीनामा अभियुक्त रामकुमार से हो गया है। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। उक्त गवाह को धारा १६१ दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, इस पर गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, वजह मैं नहीं बता सकता हूं। मैंने दरोगा जी को कोई मोबाइल नम्बर नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बचाने के लिए मैं सही बात न्यायालय नहीं बता रहा हूं और झूठी गवाही दे रहा हूं। इस प्रकार उक्त साक्षी से अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में, अभियोजन ऐसा कोई भी तथ्य उक्त साक्षी से प्रकट कराने में असमर्थ रहा है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई को बल मिल सके।

तात्पर्य यह है कि उक्त साक्षी की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के आवश्यक अवयवों की पुष्टि होती हो।

मामले में अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह को पेश नहीं किया गया है और न ही बहस के दौरान किसी ऐसे तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कथित घटना अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा ही कारित की गयी हो।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन जब तक अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित न कर दे, तब तक अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण परिचर्चा के आलोच्य में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंती है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० को प्रस्तुत साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। फलतः अभियुक्त लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त रामकुमार उर्फ लालू को धारा ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित् किया जाता है।

अभियुक्त के द्वारा ४३७क दं०प्र०सं० के तहत माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए पूर्व दिनांक ०३.०८.२०१६ को दस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू इस आशय का निष्पादित कर दिया गया है कि वह न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गयी याचिका व अपील के सम्बन्ध में नोटिस जारी होने पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा/प्रस्तुत करेंगे।

दिनाँक- ०५.०८.२०१६

(ममता सिंह)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिट्रेट,
कानपुर नगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक- ०५.०८.२०१६

(ममता सिंह)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिट्रेट,
कानपुर नगर।